न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 322 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 518

प्रार्थी

1.चौलाराम पुत्र पोकरराम

2.अणदाराम पुत्र चैनाराम

3.केरीया पुत्र पदमा

4.चेतनराम पुत्र चैनाराम

5.डायाराम पुत्र चैनाराम

6.बीजाराम पुत्र चिमाराम

7.भूराराम पुत्र चिमाराम

8.सालगराम पुत्र चिमाराम

9.हकीया पुत्र पदमा

10.चौथाराम पुत्र कालूराम

11.धारूराम पुत्र कालू

12.नेमाराम पुत्र कानाराम

13.बाबूराम पुत्र कानाराम

14.भूराराम पुत्र कालूराम

15.दिलीपकुमार उर्फ बाबूराम पुत्र चिमाराम के वारिसान

15 / 1.राहुल कुमार पुत्र दिलीप कुमार उर्फ बाबुराम जाति मेगवाल

निवासी रूपनगर तहसील पाटोदी

16.रूपाराम पुत्र कानाराम जाति मेगवाल निवासी रूपनगर तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

2.चम्पाराम पुत्र कानाराम

3.नारायणराम पुत्र कानाराम

4.मगाराम पुत्र हरचंद

5.सकू पत्नि कानाराम

6.टीकमाराम पुत्र चनणाराम

7.केसाराम पुत्र चनणाराम

8.वागाराम पुत्र चनणाराम

9.हीराराम पुत्र चनणाराम

10.मीरादेवी पत्नि चनणाराम जाति मेगवाल निवासी रूपनगर तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2..विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 20/6/25

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूपनगर तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 127 व 128 व अन्य भूमिया प्रार्थीगण की खातेदारी मे अवस्थित है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे से विधालय आने जाने हेतु रास्ता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की ओर से अपनी सहमति के आधार पर विधालय के लिए रास्ता कटान करवाया गया,जिसके खसरा संख्या 315/127 व 317/128 कायम हुए तथा कटान रास्ता पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। हल्का पटवारी द्वारा कटान रास्ता से विपरीत जाकर लटढा नक्शा मे गलत तरमीम कर दी गई। जिसके प्रार्थीगण को क्षति हो रही है। अतं खसरा संख्या 315/127 व 317/128 की विदयमान तरमीम को निरस्त की जाकर माफिक कब्जा,मौके पर चल रहे रास्ते/ग्रेवल सड़क के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 10 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी संख्या 01 वक्त बहस अनुपस्थित रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम रूपनगर तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 127 व 128 व अन्य भूमिया प्रार्थीगण की खातेदारी मे अवस्थित है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे से विधालय आने जाने हेतु रास्ता चला आ रहा है। प्रार्थीगण की ओर से अपनी सहमति के आधार पर विधालय के लिए रास्ता कटान करवाया गया,जिसके खसरा संख्या 315/127 व 317/128 कायम हुए तथा कटान रास्ता पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। हल्का पटवारी द्वारा कटान रास्ता से विपरीत जाकर लटढा नक्शा मे गलत तरमीम कर दी गई। जिसके प्रार्थीगण को क्षति हो रही है। प्रार्थीगण की ओर से हल्का पटवारी को तरमीम मौका स्थिति अनुसार किए जाने का निवेदन किए जाने के उपरांत भी तरमीम दुरूस्त नही की गई। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा श्री न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत किया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 01 की मौका रिपोर्ट मे भी कटान रास्ता की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत होना अंकित है। अतं प्रार्थीगण का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आवेदन स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कंवरली तहसील पाटोदी की हल्का पटवारी पाटोदी द्वारा जारी नक्शा नकल पी.35 क्रमांक 2173/29.8.2024 एवं तहसीलदार पाटोदी की मौका रिपोर्ट मे दर्शित तरमीम शुदि मजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि गै.मु.रास्ता खसरा संख्या 317/128 व 315/127 की विदयमान तरमीम अशुद्ध दर्ज हो रखी है। तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट किया है कि विवादित खसरान की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है,जो कि रिपोर्ट के अनुसार दुरूस्त किए जाने की सिफारिश की गई है। प्रकरण मे विप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थी को प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार किए जाने पर मौन स्वीकृति है,क्योकि यदि एतराज होता तो आपति पेश करते,लेकिन विप्रार्थीगण द्वारा ऐसा नही किया गया। इस कारण विदयमान तरमीम को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा हस्तगत प्रकरण को तहसीलदार पाटोदी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–कंवरली तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 315/127 व 317/128 की विदयमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पांटोदी को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी की मौका स्थिति एवं रिकॉर्ड को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश विधिनुसार पारित करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20/06/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

20/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा